N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0167 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/08/2024 19:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 07/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 07/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:10 बजे **Time To (समय तक):** 20:13 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/08/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/08/2024 19:56:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 07 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** RECTPION HALL, SHIVSHAKTI HOTAL AND RESTAURAT, KOTA ROAD JHALAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PREMCHAND

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOHAN LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SUNCITY GAYATRI COLONY, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SUNCITY GAYATRI COLONY, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANOJ KUMAR KHINCHI		पिता:GYARSILAL	1. E-12,RAMNAGAR SODALA,SODALA,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि पॉच हजार रूपये व आँठ किलो देशी घी (कीमत लगभग 8,000	13,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रूपये)	13,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 13,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2024 समय 02.10 पीएम पर परिवादी श्री प्रेमचन्द पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण उम्र 57 वर्ष निवासी सनसीटी गायत्री कॉलोनी, झालावाड़ हाल सचिव श्रीकृष्ण गोशाला, झालावाड़(राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। परिवादी श्री प्रेमचन्द के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा जाकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी श्री प्रेमचन्द ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि "प्रार्थी श्रीकृष्ण गोशाला, झालावाड़ में सचिव के पद पर कार्यरत है। मेरे पास पशुपालन विभाग से फोन आया कि जयपुर से ऐजी की ऑडिट आई हुई है। आप अपना रिकॉर्ड लेकर पशु चिकित्सालय झालावाड़ पहुंचो। जब मैं पशु चिकित्सालय झालावाड़ पहुंचा तो वहां ऐजी के ऑडिट कर्मचारी ने एक कागज पर सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण अंकित किया तथा रिकॉर्ड में कमी निकालकर उसी कागज पर 50,000रूपये लिखकर पैसों की मांग की गई। फिर मेरे द्वारा निवेदन करने पर उन्होने 40,000रूपये की मांग की। इस पर मैंने दुबारा हाथा जोड़ी की तो ऑडिट कर्मचारी ने कहा कि 25,000 रूपये व 10 किलो घी देना पड़ेगा नहीं दिये तो तुम्हारी लाखों रूपयों की ऑडिट निकाल दूंगा। ऑडिट कर्मचारी द्वारा मुझसे 25,000रूपये व 10 किलो घी की मांग कर परेशान कर रहा है। मैं ऑडिट कर्मचारी को 25,000रूपये रिश्वत राशि व 10 किलो घी नहीं देना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पैसों की लेनदेन बकाया नहीं है ना ही कोई रंजिश है। मैं ऑडिट कर्मचारी को रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें"। परिवादी श्री प्रेमचन्द द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 02.50 पीएम पर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रेमचन्द के सामने चेक किया जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K0HV BM MADE IN TAIWAN) डालकर परिवादी को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री प्रेमचन्द को आरोपी अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर से रिश्वत मांग की वार्ता करने हेतु तथा वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को परिवादी के साथ निगरानी हेतु अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से आवश्यक हिदायत देकर पशु चिकित्सालय, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 03.40 पीएम पर परिवादी श्री प्रेमचन्द व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री प्रेमचन्द द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K0HV BM MADE IN TAIWAN) पेश किया। परिवादी श्री प्रेमचन्द से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू श्री देवदान कानि0 425 के समक्ष बताया कि आपके निर्देशानुसार हम दोनों अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर पशु चिकित्सालय, झालावाड़ से कुछ दूरी पर रूके, जहां पर श्री देवदान सिंह जी ने मुझे पुनः समझाईश की। मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू किया तथा अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। मेरे पीछे-पीछे श्री देवदान सिंह जी भी अपनी मोटर साईकिल से रवाना हुए। मैं पशु चिकित्सालय, झालावाड़ परिसर में पहुंचा तथा साईड में स्टेंड पर अपनी मोटरसाईकिल खड़ी कर मैं पशु चिकित्सालय, झालावाड़ के एक कक्ष में पहुंचा। जहां पूर्व से अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर बैठे हुए थे उनके पास एक व्यक्ति और बैठा हुआ था, जो कुछ समय बाद वहां से चले गये थे। फिर मैंने अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर से उसकी मांग अनुसार 25,000रूपये रिश्वत राशि व 10 किलो घी के सम्बंध में वार्ता की तथा वार्ता के दौरान ही अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर ने मुझसे 20,000रूपये प्राप्त कर लिये तथा शेष रिश्वत राशि 5,000रूपये व 8 किलो घी अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर ने शाम को मुझे अपने मोबाईल से मेरे मोबाईल पर वार्ता कर

शिव शक्ति होटल कोटा रोड़, झालावाड़ पर लेकर आने के लिए कहा है। उन्होने मेरा नाम व मोबाईल नम्बर कागज पर लिख लिया था। इस दौरान हमारे बीच हुई सम्पूर्ण वार्तालाप जो आप द्वारा मुझे सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गयी है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया तथा परिवादी श्री प्रेमचन्द द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये कथनों की निगरानी हेतु हमराह गये श्री देवदान सिंह कानि0 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर उसने परिवादी के कथनो की ताईद करते हुए बताया कि परिवादी श्री प्रेमचन्द मेरे सामने पशु चिकित्सालय में गये थे, जिन्हें मैं दूर खड़ा होकर दिखाई देने वाले स्थान से देख रहा था। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री प्रेमचन्द द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द शुदा को श्री भोजराज सउनि को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। परिवादी श्री प्रेमचन्द एवं स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। परिवादी श्री प्रेमचन्द को आरोपी की मांग अनुसार 5,000रूपये रिश्वत व 8 किलो घी की व्यवस्था कर शीर्घ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु व अब तक की गई कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 04.00 पीएम पर दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय जिला रसद अधिकारी विभाग, झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 990 दिनांक 07.08.2024 मुर्तिब कर श्री हर्ष कुमार कानि0 234 को पत्र देकर कार्यालय जिला रसद अधिकारी विभाग, झालावाड़ के लिए रवाना कर हिदायत की कि गवाहान को अपने साथ ही लेकर आये। समय 04.30 पीएम पर कार्यालय में परिवादी श्री प्रेमचन्द अपने साथ आरोपी अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर की मांग अनुसार उसको रिश्वत के रूप में देने हेतु शेष रही रिश्वत राशि 5,000रूपये व चार-चार किलो देशी घी से भरे हुए दो सफेद प्लास्टिक के केन कुल 8 किलो देशी घी लेकर उपस्थित हुआ। समय 04.35 पीएम पर श्री हर्ष कुमार कानि0 234 मय दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय जिला रसद अधिकारी विभाग, झालावाड़ से अपने साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा कार्यालय लेटर पर ही अपने हस्तलेख में दो गवाहों के नाम व मोबाईल नम्बर अंकित कर अपने कार्यालय की मोहर लगाकर अपने हस्ताक्षर किये हुए है, जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम प्रेमचन्द मेहर पुत्र स्व0 श्री काशीराम जी जाति मेहर उम्र 45 साल निवासी मदारी खां का तालाब पशु चिकित्सालय के सामने झालावाड़ हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी झालावाड़ मोबाईल नं0 व दूसरे ने अपना नाम राधेश्याम मीना पुत्र श्री हजारी लाल जाति मीना उम्र 24 साल निवासी ग्राम खानपुरिया पोस्ट ल्हास तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला रसद अधिकारी झालावाड़ मोबाईल नं0 होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाया तथा पास ही बैठे परिवादी श्री प्रेमचन्द से उनका आपसी परस्पर परिचय करवाकर परिवादी श्री प्रेमचन्द द्वारा आज दिनांक 07.08.2024 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 04.40 पीएम पर परिवादी श्री प्रेमचन्द व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री प्रेमचन्द मेहर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री राधेश्याम मीना वरिष्ठ सहायक की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि दिनांक 07.08.2024 को परिवादी श्री प्रेमचन्द एवं आरोपी अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर के मध्य परस्पर रिश्वत राशि मांग की गोपनीय सत्यापन वार्ता हो चुकी है। जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K0HV BM MADE IN TAIWAN) में रिकॉर्ड है। दिनांक 07.08.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री प्रेमचन्द के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री प्रेमचन्द ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर की तथा तीसरी आवाज अन्य अपरिचित व्यक्ति की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री प्रेमचन्द ने दोनों स्वतंत्र गवाहान प्रेमचन्द मेहर व श्री राधेश्याम मीना के समक्ष अपने पास से आरोपी अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर की मांग अनुसार उसको रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले 8 किलो देशी घी के क्रम में चार-चार किलो देशी घी से भरी दो सफेद प्लास्टिक की केन व शेष रही

रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 5,000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे तथा गवाह श्री प्रेमचन्द मेहर से परिवादी श्री प्रेमचन्द की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री प्रेमचन्द की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी अज्ञात ऑडिट कर्मचारी ऐजी ऑडिट दल, जयपुर द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री प्रेमचन्द मेहर व श्री राधेश्याम मीना एवं परिवादी श्री प्रेमचन्द को दृश्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकार्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री प्रेमचन्द को सुपुर्द किया गया तथा देशी घी की सफेद प्लास्टिक की चार-चार किलो की दो केन कुल 8 किलो देशी घी आरोपी को देने हेतु परिवादी को अलग से सुपुर्द किया गया। दृश्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 07.30 पीएम पर परिवादी श्री प्रेमचन्द के मोबाईल पर आरोपी अज्ञात ऑडिट कर्मचारी का कॉल आया कि रूपये व घी लेकर शिव शक्ति होटल झालावाड़ रोड़, कोटा आ जाओ। इस पर परिवादी श्री प्रेमचन्द को उसकी मोटरसाईकिल से दोनों देशी घी कि केन मोटरसाईकिल पर रखवाकर रवाना किया तथा परिवादी के पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीना मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री प्रेमचन्द मेहर व श्री राधेश्याम मीना व जाब्ता श्री मोहम्मद आफा़क़ सउनि, मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28 एक मोटर साईकिल से व श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि0 166 एक अलग मोटर साईकिल से मय सरकारी व प्राईवेट मोटरसाईकिलों से बजानिब शिव शक्ति होटल कोटा रोड़, झालावाड़ की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 07.50 पीएम पर पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री प्रेमचन्द मेहर व श्री राधेश्याम मीना तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के सरकारी व प्राईवेट अपने-अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से रवाना होकर शिव शक्ति कोटा रोड़, झालावाड़ होटल से कुछ दूरी पर रूके। परिवादी श्री प्रेमचन्द भी अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया। परिवादी श्री

प्रेमचन्द को पुनः समझाईस कर आरोपी अज्ञात ऑडिट कर्मचारी के पास उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा वाहनों को रोड़ से साईड में खड़ा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के परिवादी श्री प्रेमचन्द के पीछे-पीछे कुछ दूरी बनाकर रवाना हुए। परिवादी श्री प्रेमचन्द शिव शक्ति होटल में प्रवेश हुआ तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शिव शक्ति होटल के मेन गेट के सामने अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाया तथा परिवादी श्री प्रेमचन्द के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुए। समय 08.13 पीएम पर परिवादी श्री प्रेमचन्द ने रिसेप्शन हॉल शिव शक्ति होटल एण्ड रेस्टोरेंट कोटा रोड़, झालावाड़ के मैन गेट से बाहर आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर कर किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों को अपने पीछे आने का ईशारा कर परिवादी श्री प्रेमचन्द के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में लिया। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रेमचन्द से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह/स्थान के बारे मे पूछा गया तो परिवादी श्री प्रेमचन्द ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि ऑडिट दल के कर्मचारी मुझे होटल के रिसेप्शन हॉल में ही मिल गये थे। मैंने उनकी मांग अनुसार चार-चार किलो के दो प्लास्टीक के देशी घी से भरे केन व 5,000रूपये रिश्वत राशि ऑडिट कर्मचारी को दे दिये है, जिन्होने रिश्वत राशि के 5000रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए नीला रंग के पजामा साईड की दाहिनी जेब में रख लिये है तथा दोनों देशी घी से भरी हुई प्लास्टिक केन को अपने हाथ में पकड़ लिया है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी को साथ लेकर मय टीम के होटल के मैन गेट से रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति सफेद व काली लाईनदार टी-शर्ट व नीले रंग का पजामा पहने अपने हाथ में दो सफेद रंग की प्लास्टिक की केन अपने हाथों में लिये हुए व्यक्ति की और ईशारा कर परिवादी श्री प्रेमचन्द ने बताया कि यही ऑडिट कर्मचारी है जिन्होने मुझसे अभी-अभी रिश्वत राशि के 5,000रूपये व चार-चार किलो की देशी घी से भरी दो सफेद रंग की प्लास्टिक केन प्राप्त की है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम के उस व्यक्ति की ओर आगे बढे तो अपनी ओर ट्रेप टीम को आता देख वह व्यक्ति घबरा गया तथा दो घी की केने व रिश्वत राशि पजामे की जेब से निकालकर रिसेप्शन हॉल में फर्श पर नीचे फेक दिये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देसानुसार ट्रेप टीम ने घेरा देकर उस व्यक्ति को पकड़ा तथा मेरे निर्देश पर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक ने उस व्यक्ति का बायां तथा श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ने दाहिना हाथ कलाई के ऊपर से पकड़ लिया। उस व्यक्ति को सात्वंना देकर रिसेप्शन हॉल में सोफे पर बैठाया तथा अपना परिचय देकर उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनोज कुमार खिंची पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल जाति खटीक उम्र 46 साल निवासी ई-12 रांमनगर सोडाला, जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर हाल सदस्य ऑडिट पार्टी होना बताया। इस पर अभी-अभी परिवादी श्री प्रेमचन्द से लिये गये चार-चार किलो के दो देशी घी के प्लास्टिक केन व 5,000रूपये रिश्वत राशि लेने के सम्बंध में पूछा गया तो आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि एजी ऑफिस जयपुर के निर्देश पर झालावाड़ जिले में कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन पालन विभाग, झालावाड़ के लेखा परीक्षा अवधि 04/2011 से 03/2024 तक के लेखो की परीक्षा कार्य एवं कार्यालय के अधीन पंजीकृत अनुदान प्राप्त करने वाली गौशालाओं के गौशाला द्वारा संधारित 04/2016 से 03/2024 तक के रिकॉर्ड की ऑडिट करने आये थे। श्रीकृष्ण गौशाला संजय कॉलोनी गांवघेर, झालावाड़ का भी रिकॉर्ड मंगवाया था जिस पर श्रीकृष्ण गौशाला के सचिव श्री प्रेमचन्द दिनांक 06.08.2024 को पशु चिकित्सालय झालावाड़ में रिकॉर्ड लेकर आये थे। रिकॉर्ड की परीक्षा करने पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं था। रिकॉर्ड में बिल बाउचर पूरे नहीं थे। श्री प्रेमचन्द जी ने मुझसे कहा था गौ माता का काम है इसमें ऑबजेक्शन मत बनाना मैं आपकी घी व पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। मैंने इनसे घी व पैसों की मांग नही की है। इन्होने जबरदस्ती मुझे अभी घी व 5,000रूपये दिये है। मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दो। इस पर परिवादी श्री प्रेमचन्द से पूछा गया तो उन्होने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूठ बोल रहे है। मेरे पास पशुपालन विभाग से फोन आया कि जयपुर से ऐजी की ऑडिट आई हुई है। आप अपना रिकॉर्ड लेकर पशु चिकित्सालय झालावाड़ पहुंचो। इस पर मैं अपनी गौशाला का रिकॉर्ड लेकर आया तथा रिकॉर्ड चेक कराया तो इन्होने रिकॉर्ड चेक करके एक कागज पर सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण अंकित किया तथा रिकॉर्ड में कमी निकालकर उसी कागज पर 50,000रूपये लिखकर पैसों की मांग की गई। फिर मेरे द्वारा निवेदन करने पर उन्होने 40,000रूपये देने के लिए बोला, इस पर मेरे हाथा जोड़ी करने पर इन्होने 25,000रूपये व 10 किलो घी देने के लिए कहा था जिस पर मैंने आज दिनांक 07.08.2024 को इनको रिश्वत लेते हुए पकड़ाने हेतु आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर आप द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया सत्यापन के दौरान ही मेरे पास रखे 20,000रूपये मैंने इनको दे दिये तथा मैंने इनसे कहां मेरे पास अभी 8 किलो घी की व्यवस्था है। इस पर इन्होने देने की सहमति दी थी तथा पूर्व में इनकी मांग अनुसार ही मैंने अभी-अभी इनको शेष रही रिश्वत राशि के 5,000रूपये व 8 किलो देशी घी के चार-चार किलो के दो केन दिये है। जो इन्होने प्राप्त किये है। ये झूठ बोल रहे कि मेरे द्वारा इनको 25,000रूपये व 8 किलो घी देने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री राधेश्याम मीना को निर्देशित कर फर्श पर बिखरी रिश्वत राशि उठवायी गयी तथा दोनों स्वतंत्र गवाह को पाबन्द कर फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो हुबहु वही 500-

500रूपये के 10 नोट कुल 5,000रूपये पाये गये। उक्त नोटो को एक पिले रंग के लिफाफे में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों चार-चार किलों की देशी घी से भी सफेद प्लास्टिक की केन को वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। होटल के रिसेप्शन हॉल में भीड़ इक्ट्ठा होने पर आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची को हाथ पकड़े स्थिति में उसके होटल में ठहरे हुए कमरा नं0 203 में मय ट्रेप टीम जब्त शुदा रिश्वत राशि व देशी घी की दो केन व ट्रेप बॉक्स के पहुंचा। दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। एक डिस्पोल गिलास के धोवन में दाहिनी हाथ की अगूंलियां व अंगूठा व दूसरे डिस्पोजल गिलास के धोवन में बायें हाथ की अगूंलियां व अगूंठा को बारी-बारी से धुलवाया गया तो दोनों डिस्पोजल गिलासों के धोवनों का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिनको दो-दो अलग-अलग कांच की शिशियों में भरकर दाहिने हाथ के धोवन की शिशियों पर मार्क आरएच-1, आरएच-2 व बायें हाथ के धोवन की शिशियों पर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर शिल्ड चस्पा कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 5,000रूपये अपने हाथों में लेकर अपने पहने हुए नीले रंग पजामें की साईड की दाहिनी जेब में रखे गये थे, परन्तु एसीबी टीम को देखकर घबराकर आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची सहायक लेखाधिकारी द्वारा जेब से निकालकर फर्श पर फेंक दिये थे। अतः आरोपी के पहने हुए पजामें की दाहिनी साईड की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी का पजामा उतरवाकर कमरे में हेंगर पर टंगी उसकी पेन्ट को पहनाया गया। रिश्वत राशि रखी पजामें की दाहिनी साईड की जेब को उलटकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त घोल में डूबोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको भी दो कांच की अलग-अलग शिशियों में आधा-आधा भरकर शिल्ड चिट कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। पजामें की जेब को पंखे की हवा में सुखाकर जेब पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्ड चिट कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी द्वारा रफ कागज पर परिवादी की श्रीकृष्ण गौशाला, झालावाड़ से सम्बंधित पेण्डिंग कार्य ऑडिट पेरा का विवरण लिखा हुआ है व जिस पर 50,000रूपये रिश्वत देने की लिखकर दिखाया था उक्त रफ कागज के पूलन्दे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। सफेद रंग के डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नष्ट किया गया। फर्द कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाई जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी 8 किलो देशी घी व 5,000रूपये रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की विस्तृत फर्द तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 10.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी श्री प्रेमचन्द की निशानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया जाकर नक्षा मौका घटनास्थल कशीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मूर्तिबशुदा नक्शा घटनास्थल को शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.30 पीएम पर आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची सहायक लेखाधिकारी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 07.08.2024 को परिवादी श्री प्रेमचन्द द्वारा आपसे पशु चिकित्सालय, झालावाड़ के परिसर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई थी तथा दिनांक 07.08.2024 को रिसेप्शन हॉल शिव शक्ति होटल एण्ड रेस्टोरेंट कोटा रोड़, झालावाड़ में वक्त रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी श्री प्रेमचन्द से आपकी वार्ता हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री प्रेमचन्द द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.50 पीएम पर आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची सहायक लेखाधिकारी जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट संशोधित 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दंडनीय अपराध होने से धारा 35 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारों की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 11.10 पीएम पर परिवादी श्री प्रेमचन्द व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री प्रेमचन्द मेहर व श्री राधेश्याम मीना की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को निर्देश देकर आज दिनांक 07.08.2024 को परिवादी श्री प्रेमचन्द एवं आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची सहायक लेखाधिकारी के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को परस्पर रिसेप्शन हॉल शिव शक्ति होटल एण्ड रेस्टोरेंट कोटा रोड़, झालावाड़ में हुई वार्तालाप को परिवादी को सुपुर्द ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। अतः उक्त वार्तालाप को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री प्रेमचन्द के समक्ष वार्ता को स्पीकर ऑन

कर वार्ता को सुनाया गया, तो वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री प्रेमचन्द द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री मनोज कुमार खींची की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटोप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 08.08.2024 समय 12.20 एएम पर दिनांक 07.08.2024 को परिवादी श्री प्रेमचन्द व आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची हाल सहायक लेखाधिकारी के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 07.08.2024 को समय 04.40 पीएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 07.08.2024 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री प्रेमचन्द व आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची हाल सहायक लेखाधिकारी के मध्य आपस में वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 07.08.2024 को समय 11.10 पी.एम. पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताऐं कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्डेड थी। डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय लेपटॉप में लगाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा लेपटॉप में सीडीयां लगाकर ब्रन कराकर चार क्लोनिंग सीडी तैयार करवायी गयी। चारों सीडियों व मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा चारों सीडियों में से एक सीडी आरोपी श्री मनोज कुमार खींची के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर तीन सीडियों को सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर खुली रखी गयी तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro U1 SD HC I C10 A1 2376TXC3K0HV BM MADE IN TAIWAN) में रिकार्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया । उक्त कार्यवाही की फर्द क्लोनिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर शिल्ड शुदा सीडीयों व मेमोरी कार्ड तथा फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 12.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रूबरू मौतबिरान के समक्ष आरोपी श्री मनोज कुमार खींची से सहमति प्राप्त की जाकर उसके ठहरे हुए कमरा नं. 203 शिव शक्ति होटल एण्ड रेस्टोरेंट की खाना तलाशी ली गई। खाना तलाशी के दौरान आरोपी के कमरे में दो बैग मिले जिनकी पृथक-पृथक तलाशी लिये जाने पर एक बैग में आरोपी के कपड़े व दैनिक उपयोग में लिये जाने वाले सामान मिले तथा दूसरे बैग में गौशालाओं व पशु पालन विभाग से सम्बंधित रिकार्ड है तथा बैग की पीछे की जेब में एक पर्स व 500-500रूपये की गड्डियां रखी हुई थी। पर्स को स्वतंत्र गवाहान से चेक करवाया तो उसमें 1370रूपये मिले तथा 500-500रूपये की गड्डियों के नोटों को गिनवाया गया तो कुल राशि 1,20,000रूपये पाये गये। पर्स व गड्डियों की कुल राशि 1,21,370रूपये पायी गयी, जिसके बारे में आरोपी से पूछा गया तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अतः उक्त राशि को संदिग्ध रिश्वत राशि मानते हुए जब्त किया जाना आवश्यक होने से उक्त राशि में से 1370रूपये आरोपी को खर्च पानी के लिए वापस लौटाये जाकर शेष राशि 1,20,000रूपये को एक लिफाफे में रखकर कब्जे एसीबी लिया गया, जिसके बारे में आरोपी से पूछताछ कर जांच की जायेगी। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति आरोपी श्री मनोज कुमार खींची को निःशुल्क दी गयी। समय 01.20 एएम पर मौके की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची को साथ लेकर मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व जब्त शुदा रिश्वत राशि व आर्टिकल्स इत्यादी के मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 के साथ लाये अपने-अपने सरकारी व प्राईवेट वाहनों से एसीबी चैकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को मौके से रूखसत किया गया। समय 01.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय आरोपी के साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुचे। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि 5,000रूपये का लिफाफा व चार-चार किलो की देशी घी से भरी हुई सफेद प्लास्टिक की केन तथा खाना तलाशी में मिली संदिग्ध राशि 1,20,000रूपये का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि मालखाना प्रभारी श्री भोजराज सउनि को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 07.08.2024 को परिवादी श्री प्रेमचन्द पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण उम्र 57 वर्ष निवासी सनसीटी गायत्री कॉलोनी, झालावाड़ हाल सचिव श्रीकृष्ण गोशाला, झालावाड़(राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर मजमून दरियाफ्त पर बताया कि "प्रार्थी श्रीकृष्ण गोशाला, झालावाड़ में सचिव के पद पर कार्यरत है। मेरे पास पशुपालन विभाग से फोन आया कि जयपुर से ऐजी की ऑडिट आई हुई है। आप अपना रिकार्ड लेकर पशु चिकित्सालय झालावाड़ पहुंचो। जब मैं पशु चिकित्सालय झालावाड़ पहुंचा तो वहां ऐजी के ऑडिट कर्मचारी ने एक कागज पर सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण अंकित किया तथा रिकार्ड में कमी निकालकर उसी कागज पर 50,000रूपये लिखकर पैसों की मांग की गई। फिर मेरे द्वारा निवेदन करने पर उन्होने 40,000रूपये की मांग की। इस पर मैंने दुबारा हाथा जोड़ी की तो ऑडिट कर्मचारी ने

कहा कि 25,000रूपये व 10 किलो घी देना पड़ेगा नहीं दिये तो तुम्हारी लाखों रूपयों की ऑडिट निकाल दूंगा। ऑडिट कर्मचारी द्वारा मुझसे 25,000रूपये व 10 किलो घी की मांग कर परेशान कर रहा है। परिवादी की उक्त शिकायत पर उसी दिन दिनांक 07.08.2024 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने पर सत्यापन के दौरान ही आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची द्वारा परिवादी से 20,000रूपये रिश्वत राशि के प्राप्त किये गये तथा परिवादी के निवेदन करने पर 8 किलो देशी घी लेने के सहमति देना तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची द्वारा परिवादी से शेष रही रिश्वत राशि 5,000रूपये व चार-चार किलो की देशी घी से भरी हुई दो सफेद प्लास्टिक की केन प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि व दोनों केनों फर्श पर पटक देना जहां से उक्त राशि व देशी घी की केनों को कब्जे एसीबी लिया जाना। आरोपी के दोनों हाथों व पहने पजामें की जेब का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना। परिवादी की पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित आरोपी द्वारा रफ कागज पर परिवादी की श्रीकृष्ण गौशाला, झालावाड़ से सम्बंधित ऑडिट पेरा का विवरण लिखा जाकर उस पर 50,000रूपये रिश्वत देने की परिवादी को लिखकर दिखाना। उक्त कागज के पूलन्दे को एसीबी द्वारा जब्त करना तथा आरोपी के ठहरे हुए कमरा नं. 203 की खाना तलाशी में संदिग्ध राशि 1,20,000रूपये बरामद होना। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.08.2024, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 07.08.2024, फर्द बरामदगी से आरोपी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची को गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल जाति खटीक उम्र 46 साल निवासी ई-12 रामनगर सोडाला, जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर व ऑडिट पार्टी झालावाड़ के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को सादर प्रेषित है। भवदीय (जगराम मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मनोज कुमार खिंची पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल, निवासी ई-12 रामनगर सोडाला, जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर व ऑडिट पार्टी झालावाड़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 135 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 878-81 दिनांक 9.8.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा-II)राजस्थान, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): MUKUL SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक **or (या)**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/08/2024 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/07/1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)